निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 चैत्र 1947 (श0)

(सं0 पटना 235) पटना, मंगलवार, 8 अप्रील 2025

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना
28 मार्च 2025

**एस0ओ0 75 दिनांक 8 अप्रील, 2025**—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा–27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 (b) की अपेक्षानुसार न्यूनतम मजदूरी, अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में कतिपय नए नियोजनों को जोड़ने हेतु प्रारूप अधिसूचना सं०–7116–7117 दिनांक–23.12.2024 निर्गत कर तीन माह की अवधि निर्धारित करते हुए आम जनमानस के आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये।प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री पर्षद द्वारा सम्यवक विचारोपरांत दो नये नियोजनों को जोड़ने के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी।

एतद द्वारा बिहार राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मी एवं चीनी उद्योग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कामगार को जोड़े जाने की घोषणा करतें हैं।

(सं०–4/ M.W-40-14 / 2025 श्र0सं0–1669)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव।

*The 28th March 2025*

**S.O. 76 Date 8 April 2025**–The powers conferred by Section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and as required under subsection 1 (b) of Section 5 of the Act, draft notification No.- 7116-7117 dated 23.12.2024 was issued for adding certain new employments to the scheduled employments under the Minimum Wages Act,1948 and objections and suggestions were invited from the general public by fixing a period of three months. After consideration of the objections and suggestions received, the Minimum Wages Advisory Board agreed with the proposal to add new employments.

The Governor of Bihar pleased to declare the inclusion of workers employed through outsourcing in Government offices and workers employed through outsourcing in the sugar industry in the scheduled employments under the Minimum Wages Act,1948.

(No.-4/M.W-40-14/2025 Sr.No.-1670)
By order of the Government of Bihar,
Rajeev Ranjan,
Joint Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 235-571+100-डी0टी0पी0 ।
**Website: https://egazette.bihar.gov.in/**